

## सूचना का अधिकार संबंधित जानकारी

लोक प्राधिकरण:	कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:	श्री. एस. बी. माथुर, महानिदेशक 022-24074358
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी:	एन. के. रुस्तगी, निदेशक(एस.टी./पी), केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुंबई 022-24092203 एक्सटेंशन-298
के.लो.सू.अ.(उपर्युक्त के.लो.सू.अ. की अनुपस्थिति में)	आर.एन मीणा, उपनिदेशक (एस.टी./पी), केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुंबई 022-24092203 एक्सटेंशन- 293
मिलने का समय:	0930 से 1800 घंटे(कार्य दिवस के दौरान) (मध्याह्न भोजन विराम 1330-1400 घंटे)
कमरा सं.	तृतीय तल, प्रशासनिक भवन, कें.श्र.सं.
के.स.लो.सू.अ.	पंद्रह अधीनस्थ कार्यालयों में

## R.T.I. RELATED INFORMATION

Public Authority:	DIRECTORATE GENERAL FACTORY ADVICE SERVICE & LABOUR INSTITUTES
First Appellate Authority:	Shri S.B. Mathur, Director General, 022-24074358
CPIO :	N.K. RUSTAGI, Director (ST/P), C.L.I., Mumbai. 022-24092203 ext.298
CPIO(in absence: of above CPIO)	R.N. MEENA, Dy.Director (ST/P), C.L.I., Mumbai. 022-24092203 ext.293
Availability hrs:	0930 to 1800 Hrs. during working days (Lunch break: 1330-1400 hrs.)
Room No. :	3 <sup>rd</sup> floor, Admn.Bldg., C.L.I.
CAPIOs :	15nos. at sub-offices.

सूचना माँगने का शुल्क:

आवेदन शुल्क: 10/- रुपए प्रति आवेदन

अतिरिक्त शुल्क: सूचना देने में आई लागत के लिए सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 के अनुसार

शुल्क भुगतान विधि: माँग पत्र अथवा बैंकर चेक अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में लेखा अधिकारी, डीजीफासली, के नाम अथवा लोक प्राधिकरण को या लोक प्राधिकरण के केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी को रसीद के साथ नकद

आर टी आई मैनुअल की उपलब्धता: 1. कें.लो.सू.अ. के पास  
2. [www.dgfasli.nic.in](http://www.dgfasli.nic.in) के होमपेज में लिंक सूचना का अधिकार पर

Fee for seeking Information:

Application fee: ₹.10/- per application.

Other fees: Towards cost of providing information as per RTI Rules, 2012.

Mode of payment: By D.D. or Banker Cheque or Indian Postal Order payable to the Accounts Officer, DGFASLI, Or by way of cash to the Public Authority or to the CPIO of the public authority against a proper receipt.

Access to RTI Manual :

1. With CPIO during working hours.
2. [www.dgfasli.nic.in](http://www.dgfasli.nic.in) at the link "Right to Information" on home page.